introduce a Bill to provide for reseruation for women in posts or appointments in services under the control of the Central Government.

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :

> "That leave be granted to move for leave to introduce a Bill to provide for reservation for women in posts or appointments in services under the control of the Central Government."

The motion was adopted.

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE I introduce the Bill.

MR. DEPUTY SPEAKER : Shri Harish Rawat – not here.

Shri Chitta Basu.

15.06 Hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

Amendment of Seventh Schedule

SHRI CHITTA BASU (Basirhat) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopd.

SHRI CHITTA BASU : I introduce the Bill.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

Constitution of article 324, etc.

SHRI H.N. BAHUGUNA (Garhwal) : Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI H.N. BAHUGUNA : Sir, I introduce the Bill.

15.07 Hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

(Amendment of article 98, etc)

MR. DEPUTY SPEAKER : Mr. A.U. Azmi.

DR. A.U. AZMI (Jaunpur) : Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

DR. A.U. AZMI : Sir, I introduce the Bill.

PROMOTION OF A CASTELESS AND RELIGIONLESS SOCIETY BILL—*Contd.*

MR. DEPUTY SPEAKER : Now, we take up further consideration of the following motion moved by Shrimati Vidya Chennupati on 6th May, 1983, namely :—

> "That the Bill to provide for the promotion of a casteless and religionless society in India, be taken into consideration".

Shri R.L.P. Verma was on his legs, You can continue. You only get the chance. I think you are now tired to-day.

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सारे देश में राष्ट्रीय एकता के सामने खड़ा हो गया है। ऐसी परिस्थिति में हमारी माननीय सदस्या श्रीमती विद्या चेन्नुपति जो एक जाति-रहित, धर्म-रहित

*Published in Gazette of India Extra-ordinary Part II, Section 2 dated 12.8.83.

समाज कल्याण विधेयक लाई हैं, वस्तुतः वह देश काल, परिस्थिति के अनुकूल और समीचीन है।

आज जब एक तरफ भाषा, जाति, धर्म, पन्थ और नाना प्रकार के मत-मतान्तरों से समाज को अलग-अलग बांटने का प्रयास चल रहा है, ऐसी परिस्थिति में अगर हम एक सीमित घेरे में, संकीर्णता में फंसे रहते हैं तो देश की एकता का जो महान क्षितिज होना चाहिये वह संकीर्ण हो जाता है और हम पूरे राष्ट्र की चिन्ता न करके केवल एक जाति-विशेष या सम्प्रदाय विशेष की सेक्टेरियन संकीर्ण भावना में उलझकर उसके भवर में घूमते रहते हैं और हम पूरे राष्ट्र के कल्याण की बात न सोचकर व्यक्तिनिष्ट हो जाते हैं। इसलिये समस्ति-निष्ठ होने के लिये आवश्यक है कि समाज के सभी वर्गों को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास किया जाये और उस दिशा में यह विधेयक बहुत बड़े विचार देने, क्रांतिकारी कदम उठाने में सहयोगी हो सकता है।

अगर आज धर्म के लिये कुछ कहें तो सिख अपनी नेशन मांग रहे हैं। सिख धर्म के आधार पर जो कभी इस तरह की चर्चा नहीं होती थी, आज हम इतने उग्रवादी हो गये कि हम सिख नेशन मांगने लगे हैं। कभी तमिल वाले मांगने लगते हैं, कभी तेलुगुदेशम की आवाज आ रही है। हर जगह अगर धर्म, जाति और भाषा के आधार पर अलग-अलग सब नेशन मांगने लगे तो यह देश रहेगा या इस देश में 50 देश हो जायेंगे ? इन संकीर्णतावादी चीजों से ऊपर उठने के लिए समाज को क्षूद्र भावनाओं से ऊपर उठना पड़ेगा और इसके लिये सरकार को कुछ कानूनी दायरे में इन संकीर्णताओं को तोड़ने के लिये प्रयास करना चाहिये, तभी यह संभव हो सकेगा, अन्यथा जो हमारे शास्त्र हैं और, हमारी संसद के दरवाजे पर भी लिखा है कि छोटी क्षूद्रता से ऊपर उठना चाहिये। इसमें लिखा है—

"अयं निजो परोवेति,
गणना लघुचेतसाम् ।
उदारचरितानामं तु,
वसुधैवकुटुम्बकम् ।।"

सारा विश्व ही कुटुम्ब है।

यह छोटे लोगों का विचार है कि यह मेरा है, यह तेरा है, यह मेरी जाति है या अमुक जाति है। सारे देश में वह ब्राह्मण है, वह क्षत्रिय है यह कहा जाता है। कोई यह नहीं कहता कि मैं इस देश का भारतीय हूं। कोई कहेगा मैं हिन्दू हूं, कोई जैन और कोई मुसलमान। अगर सब अपने को हिन्दू बोलने लगें तो इस पर मुसलमान बिगड़ने लगते हैं। आज एक दूसरे के प्रति सहनशीलता नहीं है। मैंने कई देशों का भ्रमण किया है। मैंने देखा है कि रूस में सारे समाज को रूसी कहते हैं और चीन में सारे समाज को चीनी कहा जाता है। इसी तरह रुमानिया के लोगों को रुमानियन, स्विट्जरलैंड के लोगों को स्विस, जर्मनी के लोगों को जर्मन और ब्रिटेन के लोगों को ब्रिटिश संबोधित किया जाता है।

हमारे देश में लोग कहते हैं कि मैं ठाकुर हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं ईसाई हूं, मैं सिख हूं। इस तरह समाज में प्रजातांत्रिक तंतु को तोड़ने की हर दम चेष्टा हो रही है। कोई भी धर्म आपस में बैर रखने की बात नहीं कहता। सब धर्म यही कहते हैं कि हम सब आपस में भाई-भाई हैं। कवि ने भी कहा है कि हमारा हिन्दुस्तान सारे जहां से अच्छा है, यह गुलिस्तां है और हम इसकी बुलबुलें हैं, हम सब हिन्दुस्तानी हैं। कुछ लोगों द्वारा कहा जाता है कि इस देश के लोगों को हिन्दू नहीं कहा जा सकता, इस लिये उन्हें भारतीय कहा जाता है। लेकिन जब हम आपस में क्लास, कास्ट और क्रीड के आधार पर लड़ते रहें, तो हम अपने आपको भारतीय कैसे कह सकते हैं ?

ईश्वर निराकार, सर्व-व्यापी और सर्व-नियंता है। वह सब के लिए है। लेकिन हमारे यहां कहा जाता है कि खुदा मस्जिद में बंद है,

राम मंदिर में बन्द है, ईश्वर गुरुद्वारे में बन्द है, ईसा भगवान गिरजाघर के ताले में बन्द है। अगर मस्जिद के सामने राम नवमी का जुलूस निकलता है, तो लोग गोली और बम चलाते हैं। अगर मंदिर के सामने ताजिया निकलता है, तब भी झगड़ा होता है। जिस प्रकार सूर्य की रोशनी सब के लिए है, हवा सबके लिए है, नदी का जल सबके लिए समान है, उसी तरह ईश्वर भी सबके लिए है। इसलिए इस भावना का परित्याग करना चाहिए कि हमारा ईश्वर अलग है या हम इस जाति अथवा उस जाति के हैं। सम्पूर्ण विश्व में केवल दो ही जातियां हैं। पुरुष जाति और स्त्री जाति।

SHRI N.K. SHEJWALKAR (Gwalior): All are equal. Don't treat them as second-class citizens.

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : महिला एक जाति है, जो प्रकृति ने बनाई है। उसका और पुरुष का शरीर अलग अलग है। केवल इसी कारण महिलाएं सैकंड क्लास सिटिजन्ज नहीं हो जातीं। हमारी प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट सिटिजन है।

हमारे देश में हमेशा यह आदर्श रहा है : कर्तुमय पुरुषः। वेदांत के अनुसार कर्म ही सबसे प्रधान है। रामायण में कहा गया है : कर्म-प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करै, सो तस फल चाखा। कर्म ही के आधार पर श्रम-विभाजन हुआ था और उसी के अनुसार चार वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, बने थे। वैदिक काल में सुदास नाम का एक हरिजन ब्राह्मण हो गया। अगर कोई ब्राह्मण नीच काम करता है, तो वह ब्राह्मण नहीं रह जाता है। समाज में भाई-चारे और बंधुत्व की भावना होनी चाहिए। संस्कार से ही आदमी ब्राह्मण बनता है। स्वामी विवेकानन्द ने कहा था कि सब को ब्राह्मण बनाना है। वेद कहता है : कृण्वंतु विश्वमार्यम्।

आज आवश्यकता इस बात की है कि समाज की जो विघटनकारी और भेदभाव-मूलक मनोदशा है, उसको बदला जाए। सरकार द्वारा नेशनल इन्टेग्रेशन, भावनात्मक एकता, का नारा लगाया जाता है, लेकिन विधान मंडलों और सर्विसिज में जाति और वर्ण के आधार पर सीटें और नौकरियां देने की बातें की जाती हैं। आज देश में जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें एक मिनिस्टर है वह चाहेगा कि एक समुदाय के लोग ही ज्यादा आ जायें। इसके विपरीत ऐसी भावना उत्पन्न होनी चाहिए कि समूचा समाज हमारा है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद 36 साल बीत गए हैं। हमारे संविधान में यह प्रावधान था कि 15 साल के बाद इस देश में कोई भी पिछड़ा हुआ वर्ग नहीं रहेगा लेकिन फिर मण्डल आयोग और काका कालेलकर आयोग क्यों बने थे जो पिछड़े हुए लोग थे अगर उनको ठीक तरह से न्याय मिला होता तो आज वे पिछड़े हुए नहीं रहते, हरिजन नहीं रहते और आज वह बन्दर बांट की लड़ाई नहीं होती न मत्स्य न्याय चलता। आज जो बेइन्साफी चल रही है उससे हमारा देश और समाज आगे नहीं बढ़ रहा है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि यदि समाज में समानता लानी है, भाईचारा और बंधुत्व की भावना पैदा करनी है और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है तो उसके लिए कम से कम यह जातिगत भावनायें बढ़ रही हैं उनको समाप्त करना चाहिए। आज लाखों की संख्या में जो हमारे देश में कास्ट-क्रीड हैं उनको समाप्त करना होगा। हम अन्तर्जातीय विवाह की परम्परा को अपनायें। श्रीमती विद्या चेन्नुपति, जिन्होंने इस बिल को यहां पर पेश किया है, उन्होंने स्वयं अन्तर्जातीय विवाह का उदाहरण हमारे सामने रखा है। उन्होंने इस बात को स्वयं अपने ऊपर लागू किया है। हमें समस्त भारतीय समाज को एक सूत्र में बांधना चाहिए।

(व्यवधान)

MR. DEPUTY SPEAKER : Mrs. Vidya Chennupati is already practising this in her life I know that.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna) : Not only she, but her whole family. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY SPEAKER : Mr. Verma also can do it. He can marry off his daughter to some boy of another caste, i.e. an inter-caste marriage.

SHRI MOOL CHAND DAGA (Pali) : Why does he put 'Verma' in his name ? He should remove this word from his name now.

MR. DEPUTY SPEAKER : It is not a caste name.

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक तहलका मचाने वाले बिल तो जरूर है लेकिन यह आवश्यक है कि काम के आधार पर आदमी आगे बढ़े न कि जाति के आधार पर। हमारे बिहार के भूतपूर्व मुख्य मंत्री, जो अभी अपदस्थ हुए हैं, उन्होंने जाति सूचक नाम हटा दिया था जिसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। (**व्यवधान**) मैं समझता हूं सभी लोगों को जातिसूचक नाम हटाकर दो, तीन या चार नाम जो मैंने सुझाए हैं उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मैंने इस सम्वन्ध में एक कास्ट एवालिशन बिल भी पेश किया है।

उस में मैंने कहा है कि इस तरह से देश का विभाजन हो रहा है, लोग जातिसूचक नामों से गुटों में बंट रहे हैं, इस को समाप्त करके यदि लोग चाहें तो तीन-चार ऐसे नाम रखे जा सकते हैं जो जाति सूचक न हों, जैसे भारतीय, आर्य, शास्त्री, विद्यालंकार, आदि। नाम को पूरा करने के लिये ऐसे दो-तीन टाइटल्ज रख लिए जाय तो काम चल सकता है। इस तरह का कानून बनाने में सरकार को मदद करनी चाहिये। जो कालिज या यूनीवर्सिटीज हैं। वहां पर जो फार्म दिये जाते हैं उन में भी जातिसूचक कालम को हटा देना चाहिये। जहां आरक्षण का प्रश्न है केवल वहां पर विशेष उल्लेख हो, अन्यथा इस की कोई आवश्यकता नहीं है। आज यह जाति सूचक उल्लेख कैन्सर की तरह से समाज में पैदा हो गया है। यहां तक कि अनुसूचित जातियों में भी कई वर्ग हैं—हरिजन वर्ग, आदिवासी वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़ा वर्ग, न जाने कितने वर्ग हम रोज पैदा करते चले जा रहे हैं। इन तरह तरह के वर्गों के कारण ही देश में वर्ग-संघर्ष की भावना पनपती जा रही है और इस तरह के वर्ग संघर्ष से हमारे शास्त्री जी की मंशा पूरी हो सकती है। इस लिये वर्ग संघर्ष को समाप्त करने के लिये जरूरी है कि इस देश में वर्ग-विहीन समाज की स्थापना हो। समाज में जो इस भावना से अपने नाम में परिवर्तन करे, जो कानून के अनुसार काम करे उन को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये, आर्थिक मदद देनी चाहिये। जो अन्तर्जातीय विवाह करे उस के लिये सर्विस में आरक्षण करें, उस को प्रोत्साहन दें ताकि समाज में एकता की भावना फैले और हमारा यह राष्ट्र राष्ट्रीय एकता की तरफ बढ़े।

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : उपाध्यक्ष जी, इस सदन की सम्मानित सदस्या श्रीमती विद्याचेनुपति जी को इस विधेयक के यहां प्रस्तुत करने के लिए मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने इतना साहस जुटाया है, इतनी हिम्मत दिखाई है—इस बिल को यहां ला कर। यह बिल शायद कानून तो नहीं बन पायेगा और न पास हो पायेगा, लेकिन इस के माध्यम से इस समूचे सदन में चर्चा का मौका दिया गया है, ऐसी चर्चा उठाई गई है जिससे मैं समझता हूं देश के पोंगापंथियों को, धर्म में अंधविश्वास रखने वाले व्यक्तियों को आंखें खोलने का मौका मिला है।

इस बिल में इन्होंने कोई नई बात नहीं बतलाई है। आप भी जानते हैं, पूरा सदन जानता है, पूरा देश जानता है कि हमारे देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं और अगर मैं यह कहूं कि धर्म के कारण, जातियों के कारण हम को बुरे दिन देखने पड़े हैं, तो यह अतिश्योक्ति नहीं होगी। अगर धार्मिक और जातीयता की कट्टर भावना देश में नहीं होती, तो शायद

यह महान देश अनेक बार गुलाम न बना होता। छोटे-छोटे मुल्क जो किसी भी मायने में हमारा मुकाबला नहीं कर सकते थे, आये और हमारी फूट का फायदा उठा कर चले गये, हम पर हुकूमत कर के चले गये। भारत वह देश है जो किसी जमाने में सम्यता और संस्कृति का केन्द्र था, जो किसी जमाने में सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस जमाने में दूर-दराज के लोग, दूसरे देशों के लोग, जब कि यहां पर हवाई जहाज नहीं थे, रेलगाड़ी नहीं थी, मोटर और बसें नहीं थीं, साईकल, रिक्शा और स्कूटर नहीं थे, घोड़ों और खच्चरों पर हजारों मीलों की दूरी पार कर के विद्या अर्जन के लिए यहां आया करते थे। यहां की सम्यता और संस्कृति को पढ़ने के लिए आया करते थे और अपने देश में जा कर उस का प्रचार करते थे और कहते थे कि भारत एक महान् देश है, जिस की भूमि पर अनेक ऋषि-मुनि और महर्षि और बड़े-बड़े समाज सुधारक पैदा हुए हैं। यहीं पर गौतम बुद्ध से ले कर महात्मा गांधी और स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू और हमारी महान् नेता श्रीमती गांधी हुई हैं, जिन्होंने इस बात का सुबूत दिया है और केवल कह कर ही नहीं बल्कि अपने जीवन में इसे कर के दिखाया है। इस देश में ऐसे भी पुरुष और महिलाएं हुई हैं जिन्होंने एक जाति छोड़ कर दूसरी जाति में शादी की है और इस देश के लोगों को एक नया रास्ता दिखाया है।

यह जो बिल आया है, मन तो यह करता है और मैं समझता हूं कि जितने भी समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, जितने भी प्रगतिशील विचारधारा के लोग हैं, जो लोग सच्चे माइने में धर्म-निरपेक्षता में विश्वास रखते हैं और जो सच्चे माइने में इस देश को एक महान् देश बनाना चाहते हैं, वे यह मान कर चलते हैं कि इस देश में जाति और धर्म जैसी चीजों से ऊपर उठ कर अगर एक आदमी रहे, एक इन्सान रहे, तो मैं समझता हूं कि आज देश में जो नेशनल इन्टेग्रेशन की बात कही जाती है और देश को आगे बढ़ाने की बात कही जाती है, तो उस में ये सारी चीजें सहायक साबित हो सकती हैं। काफी दिनों से इस विषय पर चर्चा चल रही है और पहले भी यह चर्चा चलती रही है और आज भी इस सम्बन्ध में यह चर्चा चल रही है। सरकार से मेरा यह अनुरोध है कि जो सम्मानित सदस्य इस बिल पर अपनी भावना प्रकट करें, उन की भावना की कद्र करते हुए, सरकार को स्वतः इस सम्बन्ध में एक बिल लाना चाहिये और इस सदन के माध्यम से एक कानून बने और इस कानून से इस देश के लोग लाभ उठा सकें।

कास्टलैस सोसाइटी और रिलीजन लैस सोसाइटी, देखने में ये बातें बहुत ही अच्छी चीजें हैं और गंभीरता से अध्ययन किया जाए, तोवास्तव में यह बहुत अच्छा असूल है और बहुत अच्छा सिद्धान्त है बशर्ते कि इस तरह की व्यवस्था हो जाए। श्रीमन्, जब कास्टलैस सोसाइटी की बात कही जाती है, तो बहुत से लोग, जिन की रोजी रोटी केवल इसलिए चलती है कि वे लोगों में धार्मिक उन्माद पैदा कर के जातीयता की संकीर्ण भावना पैदा कर के लोगों को आपस में लड़ाएं और झगड़े कराएं और उस से असामाजिक तत्व लाभ उठाएं। अक्सर देखने में यह आया है कि जब कभी भी और जहां कहीं भी देश में एक बार नहीं बल्कि आजादी के बाद अनेक बार साम्प्रदायिक दंगे हुए, जातीय दंगे हुए, छूत और अछूतों में दंगे हुए, हिन्दू-मुसलमानों में दंगे हुए और सिख और हिन्दुओं में दंगे हुए, तो उन के पीछे निहित स्वार्थों का हाथ रहा है और इस तरह से जातीयता और धार्मिक आधार-पर लोगों को लड़वा कर अपनी स्वार्थ-सिद्धी की है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो लोग इस तरह के कार्यों में लीन हों और इस तरह के कार्यों को बढ़ावा दें, उन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। अभी हमारे साथी वर्मा जी बोल रहे थे और उन्होंने कहा

था कि बिहार के मुख्य मंत्री श्री जगन्नाथ मिश्र को मैं इसलिए बधाई देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने जो अपने नाम• के आगे जाति सूचक शब्द 'मिश्र' रखा था, उस को अपने नाम से हटा दिया। और देखा जाए तो यह एक अनुकरणीय मिसाल है और इस मिसाल पर चल कर के बहुत से लोगों को इस तरह की मिसालें पैदा करनी चाहिए। मेरा आप के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जाति-सूचक शब्द जो हैं, वे किसी भी देशभक्त, राष्ट्र-भक्त और भले आदमी को नहीं लगाने चाहिए क्योंकि इस से जातीयता को बढ़ावा मिलता है। धार्मिक-सूचक जो शब्द हैं, वे लोगों में यह भावना पैदा करते हैं कि फलां व्यक्ति इस धर्म का मानने वाला है, जैसे बहुत से लोग वैश्य लगाते हैं, बहुत से जैन, शर्मा, वर्मा और गुप्ता शब्द लगाते हैं। इस तरह के शब्दों के लगाने पर पावन्दी लगाई जानी चाहिए। यही नहीं बल्कि मनुष्य मनुष्य में एकता पैदा करने के लिए, अन्तरजातीय विवाह और अन्त धर्मिक विवाहों को प्रोत्साहन देना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो लोग अन्त धर्मिक विवाह करें, उन को सरकार को तरह-तरह की सहुलियतें देनी चाहिएं। उनके लिए सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन हो। जो बिजनस करना चाहते हैं उनको कोटे परमिट के लिए विशेष छूट मिलनी चाहिए। इनको देने में उनको प्रमुखता मिलनी चाहिए। जब ये प्रोत्साहन लोगों को मिलेंगे तो वे अन्तर्जातीय और अन्तर्धामिक विवाह करने के लिए अग्रसर होंगे और सामने आएंगे। जब देश में जातीयता और धार्मिकता की भावना पनपती है तो उससे देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा होता है।

मैंने 1952 और 1957 के चुनाव देखे हैं। मैं यह बात कहे बगैर नहीं रह सकता कि उस वक्त लोगों में जातीयता और धार्मिकता की भावना बहुत कम थी। अपनी विद्वत्ता, अपने सामाजिक कार्यों के आधार पर लोग चुनावों में जीत कर आते थे। लेकिन कुछ समय से, मैं इस हाउस के माध्यम से पूरे देश को बतलाना चाहता हूं कि कुछ लोग अपने निजी स्वार्थवश इस देश में जातीयता की राजनीति को फैलाने में लगे हुए हैं। उन्होंने इस देश में जातीयता की राजनीति को जन्म दिया है और जातीयता के आधार पर अपने को राजनीतिक नेता कहना शुरू किया है। जिसका परिणाम यह हुआ है कि पिछले कुछ चुनावों में जातीयता बहुत उभर कर आई है। जिन लोगों को संविधान में वोट देने का अधिकार मिला हुआ है, और जो कमजोर वर्गों के हैं उनके वोट देने के अधिकार को भी चुनावों में जातिविशेष द्वारा छीना जाता है। इस तरह की मनोवृत्ति दिन-व-दिन पनपती जा रही है और इसको जातीयता की राजनीति से शह मिल रही है। इस तरह की जो जातीयता पर आधारित राजनीति है, और एक जाति के लोगों द्वारा जो दूसरी जाति के लोगों को वोट डालने से रोका जाता है, उस पर सरकार गंभीरता से विचार करे और सोचे। यही नहीं एक जाति के द्वारा दूसरी जाति के लोगों पर तरह तरह के जुल्म और अत्याचार ढाये जाते हैं। ये सारी चीजें बन्द होनी चाहिए। जब तक हमारे देश में जातिरहित और धर्मरहित समाज नहीं बनेगा तब तक इस तरह की प्रवृत्ति को रोकने में हम कामयाब नहीं हो पायेंगे।

मेरे साथियों ने दूसरे देशों को मिसाल दी है। हकीकत यह है कि जब इन्सान जंगलों में रहता था, पेड़ों पर नंगा रह कर फल-फूल खाया करता था उस पाषाण युग में आदमी को सभ्य और सुसंस्कृत बनाने के लिए उस समय के विद्वान् और महापुरुषों ने धर्म को जन्म दिया। उस समय धर्म ने मानव की प्रगति के लिए बहुत काम किया। धर्म एक ऐसी चीज थी जिससे कि आदमी के मन को शांति और सांत्वना मिलती थी और उसे अपने कर्त्तव्य का ज्ञान होता था। धर्म में बहुत सी बातें थीं जिनमें कि वह अपना विकास करने के बारे में सोचता था और आगे जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, धर्म का रूप भी खराब

होता गया और यहां तक दूषित होता गया कि जहां धर्म हमें भाईचारे से, प्यार और मोहब्बत से रहना सिखाता है, एक दूसरे के नजदीक आना सिखाता है वहीं आज धर्म के नाम पर पंजाब में क्या हो रहा है। धर्म के नाम पर इस देश का बंटवारा हुआ। धर्म के नाम पर इस मुल्क में लाखों लोगों की जानें गई। पता नहीं धर्म के नाम पर कितने लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया गया। यह कोई धर्म का काम नहीं है। धर्म तो लोगों को वेमनस्य की भावना दूर करना सिखाता है।

जब इस देश में वर्णाश्रम व्यवस्था का जन्म हुआ था तो वह मनुष्य के कर्म आधार पर हुआ था, जन्म के आधार पर नहीं। अफसोस की बात है कि हजारों साल बीत जाने के बाद भी समाज का बंटवारा उसी वर्ण व्यवस्था के आधार पर चल रहा है। उस समय जो लोग पढ़ते-लिखते थे वे ब्राह्मण कहलाते थे, जो लोग युद्ध के मैदान में रण-कौशल दिखलाते थे वे क्षत्रिय कहलाते थे, जो खेती-बाड़ी और व्यापार करते थे वे वैश्य कहलाते थे और जो समाज की सेवा करते थे वे शूद्र कहलाते थे। लेकिन अफसोस की बात है कि इस वर्ण-व्यवस्था से हजारों साल बीत जाने के बाद भी हम छुटकारा नहीं पा सके हैं। आज कोई शूद्र चाहे कितना पढ़ा-लिखा हो, भागवत गीता का रामायण का कितना ही धुरंधर पंडित हो, वह शूद्र का शूद्र ही रहेगा। आज वह शूद्र है। ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य चाहे कितना हो अज्ञानी और कुरूप हो तब भी उसको समाज में उच्च स्थान मिलता चला आ रहा है। मेरा निवेदन है कि अब वक्त आ गया है जब इन पुरानी परम्पराओं को तोड़ना पड़ेगा, इन्हें समाप्त करना पड़ेगा। आज दुनियां कहां जा रही है, इन्सान पृथ्वी को छोड़ कर अन्तरिक्ष में रहना चाहता है और हम जाति और धर्म में उलझे हुए हैं। हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर सरकार इस बारे में थोड़ी भी तवज्जह दे और इन प्राचीन व्यवस्थाओं को समाप्त करे तो निःसंदेह मैं कह सकता हूं कि हमारा देश ढाई हजार साल पहले जिस गौरव में रहता था, वह गौरव आज भी प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि हमारे देश में दिमाग की कमी नहीं है, हुनर की कमी नहीं है, विद्या की कमी नहीं है। अगर हम लोग जातीयता और संकुचित धार्मिक भावनाओं को छोड़ कर आगे बढ़ते हैं तो हम पुनः उस गौरव को प्राप्त कर सकते हैं जो किसी जमाने में हमारे देश में था।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि मुझे आपने बोलने का मौका दिया।

*SHRI N. SELVARAJU (Tiruchirappalli) : My hon. colleague Shrimati Vidya Chennupati has introduced a Bill to provide for the promotion of casteless and religionless society in India.

MR. DEPUTY SPEAKER : Mr. Selvaraju, when you begin to speak, you must address the Chair. Then only you begin your speech. I am only telling you the parliamentary procedure. Please start.

SHRI N. SELVARAJU : Today in the whole country Tamil Nadu occupies a premier place in social resurgence and social awareness. This is primarily due to the fact Thanthai Periyar in 1925 surrendered all the posts he was occupying in the Congress Party and severed all his connection with that party since he found that Congress Party was showing only lip sympathy to the abolition of caste system in the country. From then on Thanthai Periyar's life was a saga of sacrifice in the cause of establishment of casteless society and religionless society in the country. He mingled with the masses in Tamil Nadu and he moved ceaselessly from place to place in Tamil Nadu. He spoke in the tongue of the common people so that they could understand what he was telling them. By his simplicity he was able to impress upon them evil of casteism. Sometimes he

*The original speech was delivered in Tamil.

appealed to them to break the shackles of casteism ; some other times he adminished them for behaving like dumb driven cattle in the hands of upper caste people.

He inculcated in them a sense of resistance to this age-old practice. He awakened the people of Tamil Nadu. But in these efforts he had also to incur the wrath of political leaders and others from affluent sections of the society since they got frightened that their authority was being undermined. His own life was threatened on many occasions. They opposed not only in words but also in physical bouts. But he faced this challenge boldly and came out unscathed. The rationalist movement took firm roots in Tamil Nadu due to tireless endeavours of Thanthai Periyar. The seeds of social resurgence were sown by him then and today the entire Tamil Nadu has blossomed into a fragrant flower, the sweet smell of which is being blown into the neighbouring States also. This is the occasion for me to wish for thousands of Thanthai Periyar all over the country so that India can become the haven of casteless society.

The father of the Mover of this Bill. Shri Gora, is really Andhra Pradesh's Thanthai Periyar. Hise life has also been a saga of dedication to the cause of rationalism. It is proper that his daugher Mrs. Vidya has brought forward this Bill. I extend my whole-hearted support to this Bill.

Thanthai Periyar's conviction and ideals became the life-breath of Perarignar Anna, who gave the unique slogan of ONE CASTE AND ONE GOD. He did not rest content with shouting slogans of social reforms. He converted the social reform movement into a well-knit political organisation, as he realised that without legal support the social reforms would in course of time be submerged by political upheavals. After he became the Chief Minister of Tamil Nadu, Perarignar Anna gave statutory support to the ideals of Periyar Thanthai. He gave governmental impetus to the Self-Respect Movement. He encouraged Self-respect marriages so that the people can get rid of superstitions, which were the stumbling blocks in the way of progress. Dr. Kalaignar Karunanidhi followed his footsteps with greater verve and vigour. He took the initiative of giving awards to those going in for inter-caste marriages. He did not stop himself by paying only lip-sympathy. He wanted to preach and practice what he preached. He wanted to be in unison with his profession and practice. He got married his son to a Harijan girl. Today we see widening gap between what is preached and what is practised by our leaders. In fact the preachers feel that what they say is for public consumption and not to be practised by themselves. Kalaignar Karunanidh enacted a law which ensured that anyone can become a priest in a temple; he saw to it that the exclusive preserve of a particular community is ended for the good of the people. Again the vested interests struck the blow and moved the Court for stopping this progressive move. They successfully stayed the implementation of this measure.

Man has gone to the moon and come back. India is in the forefront of space research. We have launched successfully Aryabhatta, Bhaskara, Insat and Rohini into the Space. It is really regrettable that we have not yet been able to cross the caste barriers. Many hon. Members of this House have appended their caste names to their names. It is expected that the representatives of the people would be real rationalists since they have to represent a cross section of the society. They can succeed in their public efforts if they adopt "why and what" for every problem they are confronted with. They should be real examples for others to emulate, since they are the law-makers. I would say that there should be a law prohibiting the use of caste name along with their names.

It is also unfortunate that politicians have become puppets in the hands of fanatics of caste and religion. I would take this opportunity to suggest that the Election Commission should not allow any political party having allegiance particular religious concepts to contest the General Elections. We have 22 States, but we have 70 castes. Hinduism perpetuates casteism. Marriage is the seed-bed for casteism to grow. Instead of considering the physical fitness and the acquisition of qualifications as the criteria for marriage alliance, people move from State to State in search of a bride or a

bridegroom belonging to particular caste to which they belong. Casteism is the bane of Hindu society. Unless casteism is eradicated, we cannot think of making meaningful social progress. That is why in Tamil Nadu the wards of couple who belong to different castes are given bonus marks in the schools ; they are also given priority in government jobs. Unless such incentives are offered, with adequate legal support, mere lip sympathy for the abolition of caste system is not going to help us. We must have discussed this subject in this Parliament and also in earlier Parliaments several times. The recrudescence of communal conflagrations in our country even after 35 years of Independence reminds us of the existence of casteism in our country. While I extend my support to this Bill, I would appeal to the Government that there should be concerted efforts for the abolition of casteism in our country. It is not enough that we have enshrined in our Constitution that the objective of the State is to have a secullar State. Secularism seems to be an elusive dream. I conclude my speech by reiterating the need for arousing the national conciousness against casteism in the country.

MR. CHAIRMAN : The time allotted to this Bill was three hours. We have exhausted that. I want to know from the House how much to extend more.

SHRI MOOL CHAND DAGA : It should be extended by one hour.

SHRI MOHAN LAL PATEL : I have to introduce and speak on my Bill.

MR. CHAIRMAN : You have already introduced it. Now it cannot lapse.

श्री रामावतार शास्त्री : सभापति जी, और दलों के भी बहुत सारे सदस्य बोलने वाले हैं ।

सभापति महोदय : अभी 55 तक किया है, उनका भी बिल आ जायेगा ।

श्री डागा जी, आपने खुद इनका बिल आने का प्रस्ताव रखा है, तो आप थोड़ा समय कम कर लीजिये ।

I will request the House to accommodate so that we may finish it by 16.50. For the time being we may proceed with that idea and at 16.50 we will see the position and decide later on.

Shri Mool Chand Daga.

श्री मूलचन्द डागा : हमारे यहां तो पहले भी कहा गया है कि—

हरि को भजे सो हरि का होय,
जांत-पांत पूछे नहीं कोय ।

हम तो जांत-पांत में विश्वास नहीं करते हैं, न जांत-पांत है ।

हमारा संविधान कहता है फिर इस बिल की क्या जरूरत है ? आप आर्टिकल 14, 15 देखें—

"14. The State shall not deny any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.

15 (1): The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them.

16 (1): There shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the State."

"(2) No citizen shall, on grounds only of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence or any of them, be ineligible for, or discriminated against in respect of, any employment or office under the State."

हमारा संविधान साफ कहता है कि यहां पर जात-पांत, धर्म और सैक्स के आधार पर कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया जाएगा । इस बिल की सारी भावनाओं को संविधान के प्रीएम्बल और फंडामेंटल राइट्स में शामिल किया गया है :—

"We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India

into a Sovereign Socialist Secular Democratic Republic and to secure to all its citizens ;

"Justice, social, economic and political ; Equality of status and of opportunity ;"

माननीय सदस्या इस बिल के द्वारा चाहती हैं कि जाति को नाम से हटा दिया जाए। लेकिन नाम से ही मालूम हो जाता है कि किसी व्यक्ति का क्या धर्म है। अगर नाम शामलाल है, तो वह हिन्दू है और अगर अब्दुल गफूर है, तो वह मुसलमान है। तो नाम भी हटा दिया जाए। श्री के के तिवारी हिन्दू हैं, अगर अन्सारी हो जाएं, तो वह मुसलमान हो जाएंगे।

मैं एक ऐसे देश में रहता हूं, जिसमें कई जातियां और धर्म हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ उनका ऐसा सम्बन्ध है कि वे सब एक देश के वासी हैं। हमारे यहां अनेकता में एकता छिपी हुई है। इस देश को गर्व करना चाहिए कि यहां पर अनेक जातियां और धर्म हैं। अपने आप ही एक ऐसा समय आने वाला है, जब जात-पांत की दीवार टूट जाएगी। जब मजदूर एक जगह रहते हैं, तो कौन जात-पांत का फर्क मानता है ? सब ने जाति की दीवार को तोड़ दिया है। मुझे याद है कि बच्चन जी ने कहा था: लड़वाते हैं मंदिर, मस्जिद, प्रेम कराती मधुशाला। सुधार सिर्फ कानून से नहीं होता, सुधार अपने आप धीरे धीरे होता है।

प्रधान मंत्री इस समय सदन में मौजूद हैं। सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए, जिससे हम जात-पांत से छुटकारा पा सकें। अगर कोई ब्राह्मण किसी हरिजन कन्या से शादी करता है या हरिजन दूसरी जाति में शादी करता है, तो उसे नौकरी देने में प्राथमिकता देनी चाहिए। इस प्रकार के इन्सेन्टिव देने से कुछ न कुछ लाभ होगा। गांधीजी ने सबसे पहले सुधार करने की बात सोची थी। उन्होंने कहा था कि हम हरिजनों पर कोई मेहरबानी या कृपा नहीं कर रहे हैं, हमने जो पाप किए हैं, हम उनका प्रायश्चित कर रहे हैं। माननीय सदस्या जो बिल लाई हैं, उससे लाभ नहीं हो सकता।

(व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं तो जात-पांत की दीवारें तोड़ रहा हूं और आप इसको रोकना चाहते हैं। आपको भी इसमें शरीक होना चाहिए। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी भी इस बात से सहमत है।

15.55 Hrs.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

हमारे सामने यह प्रमोशन आफ एकास्टलेस एन्ड रेलिजनलेस सोसायटी बिल आया है। उन्होंने लिखा है :

"No public body which maintains any form shall include in its column which requires any person to state his caste or religion."

आज भी रजिस्टर में लिखना पड़ता है, यह पूछा जाता है आप किस कास्ट के हैं। हमने जो रिजर्वेशन रखा है वह इसलिए कि हमने गल्तियां की हैं और उसके लिए पश्चाताप कर रहे हैं। आरक्षण करना जरूरी है। लेकिन अगर मैं अपना नाम मूलचन्द लिखता हूं तो क्या उसके आगे यह भी लिखूं कि मैं हरिजन हूं या किस जाति का हूं तभी मुझे उसका लाभ मिल सकेगा ! आपने लिखा है :

"provided no one's caste or religion shall continue to be stated in any document as required under the provisions of any existing law."

तो इस बिल को लाने के पीछे जो भावना थी, जो मकसद था उसको देखना चाहिए। आज जो चुनाव होते हैं उसमें कुछ लोग जातिवाद और सम्प्रदायवाद के आधार पर लड़ते हैं। इसको रोकने के लिए भी कदम उठाए जाने चाहिए। अह आवश्यक है कि लोग जातिवाद और सम्प्रदायवाद को न फैलायें। मैं समझता हूं चुनाव में इस बिना पर अगर कोई

प्रचार करता है तो उसको भी आफेन्स माना जाना चाहिए। जातिवाद और सम्प्रदायवाद के आधार पर चुनाव प्रचार को रोका जाना चाहिए।

यह बिल जो यहां पर लाया गया है इसकी भावना को पूरा करने के लिए मैं समझता हूं हमारे संविधान में पूरी व्यवस्था है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपुल्स हैं जो निदेशक सिद्धान्त हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए।

MR. SPEAKER: Shri Ramavatar Shastri. The Prime Minister will.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: The Prime Minister will make a statement. I can speak later later.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): The press report was correct regarding the statement.

SHRI INDRAJIT GUPTA (Basirhat): Yesterday you made shout for so long for something which obviously was already decided.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY (Bombay North East): It is a good practice, any way.

SHRI INDRAJIT GUPTA: It had already been announced in the other House that the Prime Minister would be making a statement.

16.00 hrs.

STATEMENT ON THE SITUATION IN SHRI LANKA

THE PRIME MINISTER (SHRIMATI INDIRA GANDHI): Mr. Speaker, Sir, last week I announced that the President of Sri Lanka was sending a personal representative to New Delhi to discuss the situation in Sri Lanka with me. Mr. H.W Jayewardene, this special amissary, is now in Delhi. He has had discussions with me as also with our Minister for External Affairs.

I conveyed to Mr. Jayewardene the deep concern of our Parliament and of the people of India at the recent happenings in Sri Lanka and our distress at the human suffering resulting therefrom. We have always condemned such violence, killings and discrimination, especially when the victims are defenceless.

I took the opportunity to reassure Mr. Jayewardene that India stands for the independence, unity and integrity of Sri Lanka. India does not interfere in the internal affairs of other countries. However, because of the historical, cultural and such other close ties between the peoples of the two countries, particularly between the Tamil community of Sri Lanka and us, India cannot remain unaffected by such events there.

Mr. Jayewardene told us that the situation in Sri Lanka is fast returning to normal. According to him, the number of people in refugee camps has come down from 80,000 to 30,000. He said that most people are returning to their homes, but the Government would still be left with the problem of the several thousand people who have been rendered homeless. The Shri Lanka authorities are making arrangements for their relief and rehabilitation for which a special agency of the Government has been set up.

The tragic sufferings of Indian nationals and the people of Indian origin, living in Sri Lanka have aroused spontaneous sympathy from all Sections of our people. This was movingly expressed in debates in our Parliament in the last few days. The immediate task before us is to provide succour to those who have suffered in the disturbances. The Government of India are doing whatever they can to render relief to the affected persons. But this is a big task which the Government cannot accomplish alone; public cooperation is important. I have, therefore, decided to constitute a "Sri Lanka Relief Fund" and a "Sri Lanka Relief Fund Committee" under my chairmanship with an initial contribution of Indian Rs. 1 crore (i.e. ten million) from the prime Minister's National Relief Fund. I appeal to my fellow citizens, including those living abroad, to contribute generously to the Fund and thereby express their anguish and sympathy for the unfortunate victims of this senseless violence in a tangible and positive manner.